

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक— ४685

दिनांक— 18/09/24

संशोधित आदेश

अलवर न्याय क्षेत्र में मुख्यालय से बाहर स्थित थाना बहतुकला के न्यायालय खरेली मंडी में आने वाले कुछ गांवों के सम्बन्ध में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कथन लेखबद्ध करने के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के आदेशों में आंशिक संशोधित करते हुए अलवर न्याय क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किया रहा है कि

अन्वेषण अधिकारी/थानाधिकारी बहतुकला(न्यायालय खरेली मंडी में आने वाले गांवों बाबत) द्वारा बयान अंतर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लेखबद्ध कराये जाने वांछित हो और उनके द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र पेश किया जावे, तो निम्नानुसार धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 बाबत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जावेगा ।

क्र०सं०	थाना/ क्षेत्राधिकार न्यायालय	धारा-183 बी एन एस एस के तहत लिये जाने वाले न्यायालय का नाम	कॉलम संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर	कॉलम संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर
1	2	3	4	5	6
01	Bahtukala (थाना बहतुकला के खरेली मंडी न्यायालय में आने वाले गांव)	C.J. & J.M.- Govindgarh	C.J. & J.M.- Laxmangarh	A.C.J. & J.M.- Laxmangarh	C.J. & J.M.- Kathumar

कॉलम संख्या-3 लगायत 6 तक के समस्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं मुख्यालय से बाहर होने पर न्यायालय A.C. J.& J.M.-1, Alwar द्वारा धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत बयान लेखबद्ध किये जावेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

18/09/2024

क्रमांक— 2605-90

दिनांक— 10/9/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को सादर प्रेषित है—

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर
02. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर
03. समस्त पीठासीन अधिकारी.....
04. समस्त थानाधिकारी,.....
05. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेशको साईट पर अपलोड करे)
06. कार्यालय प्रति/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

प्रमाणित
18/09/2026